"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 जून 2014—ज्येष्ठ 30, शक 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, महेश नाडमवार (Mahesh Nadamwar) पिता स्व. मारूती राव नाडमवार, उम्र 49 वर्ष, निवासी-फ्लैट नं. 202/बी, दीप अपार्टमेन्ट, प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे पैनकार्ड, बैंक पासबुक में मेरा नाम महेश नाडमवार (Mahesh Nadamwar) पिता स्व. मारूती राव नाडमवार दर्ज है एवं मेरे हायर सेकण्डरी की अंक सूची तथा भिलाई इस्पात संयंत्र के समस्त अभिलेखों में मेरा नाम महेश कुमार (Mahesh Kumar) दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम महेश नाडमवार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे महेश नाडमवार पिता स्व. मारूती राव नाडमवार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
महेश कुमार पिता-स्व. मारूती राव निवासी-फ्लैट नं. 202/बी, दीप अपार्टमेन्ट, प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला (दुर्ग)	महेश नाडमवार पिता-स्व. मारूती राव नाडमवार निवासी-फ्लैट नं. 202/बी, दीप अपार्टमेन्ट, प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला (दुर्ग)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कौशल प्रसाद वर्मा आत्मज श्री भरतलाल वर्मा, आयु 40 वर्ष, जाति कुर्मी, निवासी-क्वा. नं. 3 एफ, सड़क रेल्वे एवेन्यू, सेक्टर 6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरा वास्तविक एवं प्रचलित नाम कौशल प्रसाद वर्मा पिता भरतलाल वर्मा है किन्तु भूलवश मेरी बी.एस.पी. के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम कौशल प्रसाद मढरिया पिता भरतलाल मढरिया दर्ज हो गया है. मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम कौशल प्रसाद वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे कौशल प्रसाद वर्मा पिता श्री भरतलाल वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कौशल प्रसाद मढरिया पिता-श्री भरतलाल मढरिया निवासी-क्वा. नं. 3 एफ, सड़क रेल्वे एवेन्यू, सेक्टर 6 भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)	कौशल प्रसाद वर्मा पिता-श्री भरतलाल वर्मा निवासी-क्वा. नं. 3 एफ, सड़क रेल्वे एवेन्यू, सेक्टर 6 भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्यामलाल आत्मज श्री बिसहत राम साहू, उम्र 51 वर्ष, निवासी क्वाटर नं. 1-बी, सड़क-39, सेक्टर-4, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते में मेरा नाम श्यामलाल साहू दर्ज है जबकि मेरे बी.एस.पी. के सर्विस रिकार्ड व मेडिकल बुक में श्यामलाल दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम साहू जोड़कर अपना नया नाम श्यामलाल साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं

अतः अब मुझे श्यामलाल साहू आत्मज श्री बिसहत राम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्यामलाल आत्मज-श्री बिसहत राम साहू निवासी-क्वा. नं. 1/बी, सड़क नं. 39, सेक्टर 4, भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	श्यामलाल साहू आत्मज-श्री बिसहत राम साहू निवासी-क्वा. नं. 1/बी, सड़क नं. 39, सेक्टर 4, भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दीनामणी नायक (Dinamani Nayak) पिता श्री मधुसुदन नायक (Madhusudan Nayak) उम्र 44 वर्ष, निवासी फ्लैट नं. 302, कल्पकृति अपार्टमेन्ट, अवधपुरी, रिसाली भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे ड्राइविंग लाइसेन्स में मेरा नाम दीनामणी नायक (Dinamani Nayak) दर्ज है तथा मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र की दसवीं की अंकसूची, पैन कार्ड व अन्य प्रमाण पत्रों में मेरा नाम दीनामणी नायक (Dinamani Naik) पिता श्री मधुसुदन नायक (Madhusudan Naik) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम दीनामणी नायक (Dinamani Nayak) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे दीनामणी नायक (Dinamani Nayak) पिता श्री मधुसुदन नायक (Madhusudan Nayak) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
दीनामणी नायक (Dinamani Naik) पिता-श्री मधुसुदन नायक (Madhusudan Naik) निवासी-फ्लैट नं. 302, कल्पकृति अपार्टमेन्ट, अवधपुरी, रिसाली भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)	दीनामणी नायक (Dinamani Nayak) पिता-श्री मधुसुदन नायक (Madhusudan Nayak) निवासी-फ्लैट नं. 302, कल्पकृति अपार्टमेन्ट, अवधपुरी, रिसाली भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, DHANANJAY KUMAR MESHRAM S/o HARISH CHAND MESHRAM, उम्र 47 वर्ष, निवासी OTL, Camp 1, Qr. No. 111, Bhilai, Dist. Durg (C.G.) का हूं. यह कि मेरे स्कूल रिकार्ड एवं सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम DHANANJAY KUMAR MESRAM S/c HARISH CHAND MESRAM दर्ज है जो कि त्रुटि पूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम DHANANJAY KUMAR MESHRAM रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे DHANANJAY KUMAR MESHRAM S/o HARISH CHAND MESHRAM के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
DHANANJAY KUMAR MESRAM धनंजय कुमार मेश्राम S/o HARISH CHAND MESRAM निवासी-OTL, Qr. No. 111, Camp 1, Bhilai, Dist. Durg (C.G.)	DHANANJAY KUMAR MESHRAM धनंजय कुमार मेश्राम S/o HARISH CHAND MESHRAM निवासी-OTL, Qr. No. 111, Camp 1, Bhilai, Dist. Durg (C.G.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 31 मार्च 2014

क्रमांक/826/उपंरा/परि./2014.—चूंकि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित सलोनी पंजीयन क्रमांक 306, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(1) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परिसमापन/2003-04/726 राजनांदगांव, दिनांक 08-9-2005 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक श्रीमती सीमा मिश्रा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड एवं जिला राजनांदगांव द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंकित प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं संतुष्ट हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं एस. एल. [illegible]कर्मा उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित सलोनी पंजीयन क्रमांक 306, जिला राज[illegible] पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

राजनांदगांव, दिनांक 31 मार्च 2014

क्रमांक/827/उपंरा/परि./2014.—चूंकि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित कांकेतरा पंजीयन क्रमांक 305, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(1) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परिसमापन/2003-04/730 राजनांदगांव, दिनांक 08-9-2005 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक श्रीमती सीमा मिश्रा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड एवं जिला राजनांदगांव द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं संतुष्ट हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं एस. एल. विश्वकर्मा उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित कांकेतरा पंजीयन क्रमांक 305, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

राजनांदगांव, दिनांक 31 मार्च 2014

क्रमांक/828/उपंरा/परि./2014.—चूंकि छुईखदान मछुवा सहकारी समिति मर्यादित छुईखदांन पंजीयन क्रमांक 362, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(1) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/338/परि./2010/राजनांदगांव, दिनांक 22-7-2010 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड छुईखदान, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक श्री एम. एल. देवांगन सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड छुईखदान जिला राजनांदगांव द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं संतुष्ट हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं एस. एल. विश्वकर्मा उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत छुईखदान मछुवा सहकारी समिति मर्यादित छुईखदान पंजीयन क्रमांक 362, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.